कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी ,सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :— 03 / 2014

दायर दिनांक — 28 / 03 / 2014
निर्णय दिनांक — 13 / 07 / 2015

1:—श्री विक्रमसिंह पिता ईश्वरसिंहजी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0।

—वादी—

बनाम

1:—श्री ललित पिता रेवाशंकर जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
2:—राधा पुत्री रेवाशंकर जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा ।
3:—आशा पुत्री रेवाशंकर जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
4:—मंजु पुत्री रेवाशंकर जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
5:—श्रीमती उमियादेवी बेवा रेवाशंकर जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
6:—श्री रामेश्वर पिता देवराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
7:—श्री लालशंकर पिता देवराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
8:—श्री राजेन्द्र पिता देवराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
9:—श्री महेशचन्द्र पिता देवराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
10:—श्रीमती कमला पुत्री देवराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
11:—श्रीमती नाथी बेवा प्रभुराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
12:—श्री विक्रम पिता मणीलाल जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
13:—श्रीमती चन्दा बेवा मणीलाल जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा।
14:—श्री गौरीशंकर पिता प्रभुराम जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागवाडा मौहल्ला गामठवाडा जिला डूँगरपुर राज0।
15:—लैण्डहोल्डर तहसीलदार ,तहसीलदार कार्यालय सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0।

—प्रतिवादीगण—

<u>वद बाबत् खातेदार द्योषित करने ,स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं इन्द्राज दुरस्ती करने अन्तर्गत धारा 88 सपठित धारा 209 रा.टि.एक्ट एवं धारा 136 रा.लै.रेवेन्यूं एक्ट</u>

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 कस्बा सागवाडा के निवासी है ।

वादी ने दिनांक 29.03.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 से मौजा सागवाडा के उनके संयुक्त स्वामित्व के खाता नम्बर 993 की खसंरा नम्बर 6830 रकबा 15 बिस्वा,

Scanned by CamScanner

6831 की रकबा 3 बिस्वा ,6853 की रकबा 5 बिस्वा भूमि में से उनका 5/6 हिस्सा क्रय कर इसका विक्रय पत्र अपने हक में निष्पादित कराया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 सें 13 का जो 5/6 हिस्सा उपरोक्त तीनों खसरों में जो था वह वादी ने क्रय किया एवं मौके पर इनका कब्जा प्राप्त किया।

उपपंजीयक कार्यालय सागवाडा में जो भी कृषि भूमि का विक्रय पत्र होता है वह 3 प्रत में निष्पादित किया जाता हे जिसमें मूल विक्रय पत्र क्रेता को लौटाया जाता है । द्वितीय प्रति उपपंजीयक कार्यालय सागवाडा के रेकार्ड हेतु रखी जाती है एवं तीसरी प्रति सम्बन्धित हल्के के पटवारी को क्रेता के नाम नामान्तरण खोलने भेजी जाती है। वादी इस मामले में भी यही समझता रहा कि उसका नाम उपरोक्त तीनों खेतों के 5/6 हिस्से के खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका होगा।

वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने अपने क्रयशुदा तीनों खसंरों की नकल दिनांक 20.12.2013 को निकलवाई तो उसे पता चला कि उसका नाम तो राजस्व रेकार्ड में उक्त तीनों खसंरों के खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है एवं खाते में सिर्फ प्रतिवादी संख्या 12, 13 व उनके मृत भाई जैकी का 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 15 का नाम 1/2 हिस्से के खातेदार के बतौर दर्ज है।

वादी को राजस्व रेकार्ड में हुई इस त्रुटि का पता चलने पर उसने समस्त प्रतिवादीगण से मिलकर अपने क्रयशुदा तीनों खसरों के 5/6 हिस्से के खातेदार के रूप में अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने इससे इंकार कर दिया ।

वादी ने विधिक रूप से प्रतिफल अदा कर दिनांक 29.03.2011 को खातेदार राजस्व रेकार्ड में थे उनसे आराजियात क्रय की थी एवं मौके पर भी वह अपनी क्रयशुदा आराजियात पर काबिल है। इसके बावजूद वादी का नाम उसके क्रयशुदा खसरों के खातेदार के रूप में प्रतिवादी संख्या 16 ने नहीं दर्ज कर भारी भूल की है और प्रतिवादी संख्या 16 ने राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन करने वक्त भी वादी को कोई सूचना नहीं दी है।

जिस किसी भी कार्यवाही या आदेश से वादी के क्रयशुदा खसंरों के बाबत् राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज परिवर्तित किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 , 13 व उनके मृत भाई जैकी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 15 का नाम 1/2 हिस्से के खातेदार के रूप में दर्ज किया गया उससे वादी बाध्य नहीं है ।

वादी अपनी क्रयशुदा भूमि का अपने आपकों खातेदार द्योषित कराने का अधिकारी है।

राजस्व रेकार्ड में वादी को उसकी क्रयशुदा खसंरा नम्बर 6830 रकबा 15 बिस्वा , 6831 की रकबा 3 बिस्वा , 6853 की रकबा 5 बिस्वा भूमि के 5/6 हिस्से का खातेदार द्योषित कर ,अमल दरामद करना आवश्यक है अन्यथा वादी को भारी क्षति पहुॅचेगी।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने इससे इंकार कर दिया। जिससे वाद प्रस्तुत करने की नौबत आई है ।

अतः वादी द्वारा वाद कर निवेदन किया गया कि, मौजा सागवाडा के वर्तमान खाता नं 336/993 की वादी की क्रयशुदा खसंरा नं 6830 रकबा 15 बिस्वा, 6831 रकबा

Scanned by CamScanner

3 बिस्वा , 6853 रकबा 5 बिस्वा भूमि के 5/6 हिस्से का वादी को खातेदार द्योषित कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

प्रकरण में दिनांक 02/04/2014 को नोटिस जारीकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित न रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 11 की मृत्यु होने से संशोधित उनवान प्रस्तुत करने वकील वादी को आदेश दिया गया। वकील वादी द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया कि, प्रतिवादी संख्या 11 के वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर है अतः प्रकरणमें तनकीकायम नहीं की जाकर साक्ष्य वादी नियत की गई । पत्रावली में दिनांक 01/07/2015 को वादी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए । वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । निर्णय निम्नानुसार है।–

प्रकरण में प्रस्तुत वाद के अनुसार मौजा सागवाडा के खाता संख्या 993 खसंरा सं 6830 , 6831 6853 रकबा क्रमशः15 बिस्वा , 03 बिस्वा एवं 05 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादीगण का हिस्सा 5/6 क्रय कर विक्रय पत्र (EX2) दिनांक 29/03/2011 को उपपंजीयक कार्यालय सागवाडा में संपादित करवाया। वादी द्वारा जमाबन्दी संवत् 2069–72 मौजा सागवाडा (EX1) प्रस्तुत की जिसमें खाता सं 993 प्रतिवादी सं 1 से 14 के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त खाता संख्या 993 के खसंरा सं 6830, 6831 , 6853 में से 5/6 हिस्सा कुल रकबा 23 बिस्वा में से लगभग 19 बिस्वा प्रतिवादी सं 1 से 13 ने वादी को बेचान कर दिया परन्तु उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर वादी का दावा सही सिद्ध होता है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा सागवाडा के खाता सं 993 खसंरा संख्या 6830, 6831 व 6853 कुल किता 03 कुल रकबा 23 बिस्वा के 5/6 हिस्से का खातेदार द्योषित किया जाता है । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । इस आशय की डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सागवाडा

Scanned by CamScanner